

पत्र संख्या : ७वि.शा./मु.राँची-०५-०४/२०२१ ज.सं ..... १२

झारखण्ड सरकार  
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

प्रशांत कुमार,  
सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची ;  
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;  
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक: २४/०५/२०२१

विषय :- वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान जल संसाधन विभाग अन्तर्गत विभिन्न सिंचाई योजनाओं के पुनरुद्धार (ई.आर.एम.) कार्य हेतु कुल रु. 1075.072 लाख (रु. दस करोड़ पचहत्तर लाख सात हजार दो सौ मात्र) रूपये राशि का आवंटन स्वीकृत करने के संबंध में।

प्रसंग :- प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश संख्या-५१/१८-१९, दिनांक ०१.०२.२०१९ (Online AA- 2006/04.02.2019), ३८/१७-१८, दिनांक १५-०९-२०१७ (Online AA-1311/15-09-2017), ८४/१६-१७ प्र.स्वी., दिनांक-०२.०२.२०१७ Online AA-2290/०९.०२.२०१७, ४५/१८-१९ प्र.स्वी., दिनांक-०१.०१.२०१९ Online AA-1746/०२.०१.२०१९, ८१/१६-१७, दिनांक २०.०१.२०१७ (Online AA-2167/२६.०१.१७) एवं १२/१९-२०, दिनांक ०१.०७.२०१९ (Online AA-1169/२०.०८.१९)

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत निम्नवत् दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को आवंटन संसूचित किया जाता है—

क्र०	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (राशि लाख में)
1	2	3	4	5
1.	49-जल संसाधन विभाग/ 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय /८०-सामान्य/	796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 54-पूर्ण सिंचाई योजनाओं का ई० आर० एम०	05-निर्माण, 45-निर्माण कार्य विपत्र कोड- 49S47018079654000545	1075.072
				1075.072

आवंटित राशि — दस करोड़ पचहत्तर लाख सात हजार दो सौ मात्र।

- उपर्युक्त आवंटित की जा रही राशि का व्यय परिशिष्ट-१ में अंकित प्रमंडल के द्वारा नियमानुसार किया जाएगा।
- आवंटित राशि वर्ष 2021-22 में बजट उपबंध राशि रु. 8675.00 लाख (छियासी करोड़ पचहत्तर लाख) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक २५६१ वि. (२) दिनांक १७.०४.९८, १८०० (वि.) दि. १५.०७.२००३, १३६३ दि. ०९.०५.२०१६ एवं २७४७/वि., दिनांक-१९.०९.२०१६ के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव (अभि.)

(Signature)

(अशोक कुमार दास)  
संयुक्त सचिव (अभि.)

8. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
9. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
10. आवंटित राशि से अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
11. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
12. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
13. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षन्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
14. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यार्पण 31 मार्च 2022 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी इकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यार्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC No सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

**नोट :** आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट-1 के स्तंभ-13 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक—यथोक्त।

24/05/2021  
(प्रशांत कुमार)  
सचिव

ज्ञापांक :— 12

प्रतिलिपि :— महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. — हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/रॉची/चाईबासा/चक्रधरपुर/खूंटी सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त।

24/05/2021  
(प्रशांत कुमार)  
सचिव

ज्ञापांक :— 12

रॉची, दिनांक :— 24/05/2021

प्रतिलिपि :— अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, योजना-सह-वित विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉची/अभियंता प्रमुख—I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग/प्रशास्त्रा-7 को दस अंतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/सचिव के प्रधान आप सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त।

24/05/2021

(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अभि.)

4/05/2021  
(अशोक कुमार दास)  
संयुक्त सचिव (अभि.)

24/05/2021  
(प्रशांत कुमार)  
सचिव

माँग संख्या-49-जल संसाधन विभाग,

उप-मुख्य शीर्ष-४०-सामान्य,

लघु शीर्ष-७९६-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना

विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45-निर्माण विपत्र कोड-49S47018079654000545

वित्तीय वर्ष 2021-22 में बजट उपबंध राशि रु. 8675.00 लाख (छियासी करोड पचहत्तर लाख) मात्र

(राशि लाख हैं मेरी)

क्र.	प्रमंडल का नाम	योजना का नाम	प्रसंग		एक्सेरनामा की लाभि	मार्च 2021 तक पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन कुल आवंटन	योजना पर कुल अद्यतन आवंटन (7+10)	On-line Allotment Access No.	अस्युचित
			प्रसंग	लाभि						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	जलपथ प्रमंडल, चार्डबासा (SGHRR008)	रौची	पुनर्जना सिचाई योजना का पुनर्जन्वार एवं मुख्य नहर का पक्कीकरण कार्य।	01/02/2019 (Online A.A- 2006/04/02/2019)	2307.00	2153.49	1348.25	0.000	158.470	158.470
2		रौची	तोरला जलसंरक्षण योजना के मुख्य नहरों के लाइनेंग सहित पुनर्जन्वार कार्य।	38 / 17-18, दिनांक 15/09/2017 (Online A.A- 13/11/15-09-2017)	5297.00	4681.17	3369.72	0.000	129.790	129.790
3		रौची	सोनुआ सिचाई योजना के पुनर्जन्वार (ईआरएम) कार्य।	84/16-17 प्र.स्ट्री., दिनांक-02/02/2017 Online A.A- 22/06/09/02/2017	1348.18	1367.94	743.04	0.000	64.240	64.240
4	जलपथ प्रमंडल सं.-1, चक्रधरपुर (SGHRR016)	रौची	ब्रह्मपुणी सिचाई योजना के मुख्य नहर का लाइनिंग सहित पुनर्जन्वार कार्य	45/1-8-19 प्र.स्ट्री., दिनांक-01.01.2019 Online A.A- 17/4/02/01.2019	1161.55	1161.55	515.46	0.000	199.672	199.672
5		रौची	विजय सिचाई (दीयर) योजना के पुनर्जन्वार (ईआरएम) कार्य	81 / 16-17, दिनांक 20/01/2017 (Online A.A-21/67/26.01.17)	2982.00	3030.15	2535.58	0.000	151.400	151.400
6	जलपथ प्रमंडल, खूंटी (RNCCR02)	रौची	तजना दररज सिचाई योजना के पुनर्जन्वार एवं नहरों के लाइनेंग कार्य	12 / 19-20, दिनांक 01/07/2019 (Online A.A- 11/09/20/08/19)	4900.00	3808.97	2053.41	0.000	371.500	371.500
					योग	0.000	371.500	371.500	2424.910	21701
					कुल योग	0.000	1075.072	1075.072	11640.536	